भारत सरकार
**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2952**
जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2025 को दिया जाना है ।
15 श्रावण, 1947 (शक)

## बच्चों की साइबर सुरक्षा

**2952. डॉ. गुम्मा तनुजा रानीः**

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान साइबर खतरों का सामना करने वाले बच्चों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बच्चों को साइबर खतरों से बचाने के लिए कोई व्यापक कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा नीति लागू करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)**

**(क)** से **(ङ):** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), अपने प्रकाशन "भारत में अपराध" में अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट https://www.ncrb.gov.in/crime-in-india.html पर उपलब्ध है।
सरकार ने बच्चों को साइबर खतरों से बचाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:
**सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ('आईटी अधिनियम') और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ('आईटी नियम')**

- उपयोगकर्ताओं, विशेषकर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा का स्पष्ट उद्देश्य
- आईटी अधिनियम की धारा 67बी बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट, अश्लील या अशोभनीय तरीके से चित्रित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को दंडित करना - संज्ञेय अपराध
- इसमें उन्हें ऑनलाइन यौन संबंधों के लिए प्रेरित करना, दुर्व्यवहार को सुगम बनाना, या ऐसे कृत्यों का रिकॉर्ड करना शामिल है
- पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष तक की कैद के साथ दंडनीय और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, तथा दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष तक की कैद और इतने ही जुर्माने की सजा
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 77ए: अपराध जो अधिनियम के तहत शमनीय हैं (उन आजीवन कारावास या तीन वर्ष से अधिक के कारावास की एक अवधि के दंड वाले अपराधों के अन्यत्र), परन्तु न्यायालय ऐसे किसी अपराध का शमन नहीं करेगा जहां ऐसा अपराध 18 वर्ष की आयु के कम आयु के किसी बालक के संबंध में किया गया हो।

**सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत प्रमुख प्रावधान:**

| प्रावधान | विवरण |
|---|---|
| **नियम 3(1)(बी) के तहत प्रतिबंधित सूचना** | अन्य बातों के अलावा, ऐसी सूचना/सामग्री को प्रतिबंधित करता है जो,<br>· अश्लील, पोर्नोग्राफिक, गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली, या घृणा या हिंसा को बढ़ावा देने वाली हो;<br>· बच्चों को नुकसान पहुँचाती है ;<br>· डीपफेक के माध्यम से गुमराह करना या धोखा देती है;<br>· एआई के माध्यम से दूसरों का प्रतिरूपण करती है ;<br>· राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए खतरा हो ;<br>· किसी भी लागू कानून का उल्लंघन करती हो। |
| **उपयोगकर्ता जागरूकता दायित्व** | मध्यस्थों को सेवा की शर्तों और उपयोगकर्ता अनुबंधों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को गैरकानूनी सामग्री साझा करने के परिणामों के विषय में स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए, जिसमें सामग्री हटाना, खाता निलंबन या समाप्त करना शामिल है। |
| **सामग्री हटाने का उत्तरदायित्व** | मध्यस्थों को अदालती आदेश, सरकारी नोटिस या उपयोगकर्ता की शिकायतों पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। |
| **शिकायत निवारण** | · मध्यस्थों द्वारा शिकायत अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे<br>· 72 घंटों के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाकर शिकायतों का समाधान करना अनिवार्य है।<br>· निजता का उल्लंघन करने वाली, किसी व्यक्ति का प्रतिरूपण करने वाली, या नग्नता दिखाने वाली सामग्री को, ऐसी किसी भी शिकायत के 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाना चाहिए। |
| **शिकायत अपीलीय समितियां (जीएसी) तंत्र** | यदि मध्यस्थ शिकायत निवारण अधिकारी, शिकायतों का समाधान नहीं करते हैं तो उपयोगकर्ता www.gac.gov.in पर ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। जीएसी सामग्री मॉडरेशन निर्णयों में जबाबदेही और पार्दर्शिता सुनिश्चत करते हैं। |
| **महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ के अतिरिक्त दायित्व (एसएसएमआई)** (अर्थात, भारत में 50 लाख या उससे अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता बेस वाले सोशल मीडिया मध्यस्थ) | · संदेश सेवाएं प्रदान करने वाली एसएसएमआई को गंभीर या संवेदनशील सामग्री के स्रोत का पता लगाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करनी चाहिए।<br>· एसएसएमआई गैरकानूनी सामग्री का पता लगाने और उसके प्रसार को सीमित करने के लिए स्वचालित उपकरणों का उपयोग करेंगे।<br>· एसएसएमआई अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे, स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे और अनुपालन और कानून प्रवर्तन समन्वय के लिए भारत में स्थित भौतिक पता साझा करेंगे।<br>· एसएसएमआई स्वप्रेरणात्मक कार्रवाई करने से पूर्व स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन, आंतरिक अपील और निष्पक्ष सुनवाई की पेशकश करेंगे। |

**डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("डीपीडीपी अधिनियम")**

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है।
- डेटा फ़िड्युशरीज़ को केवल माता-पिता की सहमति से बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की अनुमति देता है।
- ऐसे व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण की अनुमति नहीं देता जो बच्चों के कल्याण के लिए हानिकारक हो या जिसमें ट्रैकिंग, व्यवहारिक निगरानी या लक्षित विज्ञापन शामिल हों।

**सूचना सुरक्षा शिक्षा एवं जागरूकता ("आईएसईए") कार्यक्रम**

- इंटरनेट का उपयोग करते समय उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना
- सूचना सुरक्षा जागरूकता के लिए समर्पित वेबसाइट बनाई गई है, जो नियमित आधार पर प्रासंगिक जागरूकता सामग्री तैयार करती है और उसका सृजन करती है।
- इसे https://staysafeonline.in/ पर एक्सेस किया जा सकता है।

**भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन**)

- अपनी आधिकारिक वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल पर नियमित रूप से सुरक्षा संबंधी सुझाव और जागरूकता पोस्टर, इन्फोग्राफिक्स और वीडियो साझा करता है
- इसका उद्देश्य बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपायों सहित साइबर सुरक्षा हमलों और धोखाधड़ी के बारे में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बनाना है।

**बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012** बच्चों को यौन अपराधों से बचाने और बच्चों के विरुद्ध ऐसे अपराधों को रोकने के लिए लागू किया गया था। इसमें अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड का प्रावधान है।

**राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)**, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय, ने साइबर सुरक्षा और बालकों के संरक्षण पर निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार किए हैं:

- बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों और आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश और मानक सामग्री जो "बींग सेफ ऑनलाइन" शीर्षक से वेबसाइट लिंक https://ncpcr.gov.in/public/uploads/16613370496305fdd946c31_being-safe-online.pdf पर उपलब्ध हैं।
- स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा पर साइबर सुरक्षा (इसमें शामिल करने के लिए) मैनुअल संबंधी दिशानिर्देश, जो वेबसाइट लिंक https://ncpcr.gov.in/uploads/16613369326305fd6444e1b_cyber-safety-guidline.pdf पर उपलब्ध है।
- बुलिंग और साइबर बुलिंग के निवारण संबंधी स्कूलों के लिए दिशानिर्देश" जो वेबसाइट लिंक https://ncpcr.gov.in/uploads/1714382687662f675fe278a_preventing-bullying-and-cyberbullying-guidelines-for-schools-2024.pdf पर उपलब्ध हैं।
- एनसीपीसीआर के पास बाल अधिकारों के विभिन्न उल्लंघनों और उनके वंचन की शिकायतों का समय पर शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित/पारदर्शी ऑनलाइन शिकायत तंत्र https://ncpcr.gov.in/ebaalnidan/ स्थापित है।

**शिक्षा मंत्रालय** ने अभिभावकों और शिक्षकों के लिए 'ऑनलाइन गेमिंग के नुकसानों पर काबू पाने' और 'बालकों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन गेमिंग' पर एडवाइज़री जारी की है।

**गृह मंत्रालय (एमएचए)** ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक संलग्न कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) की स्थापना की है।

**' राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल '** ( https://cybercrime.gov.in ) शुरू किया गया है, ताकि लोग सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट कर सकें, जिसमें महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में परिवर्तित करने तथा उत्तरवर्ती कार्रवाई को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के एलईए द्वारा कानून के प्रावधान के अनुसार निष्पादित किया जाता है।

*****